


8/1/26

अधिवक्ता अपीलानुष्ठान अनुपस्थित/ अधिवक्ता अपीलानुष्ठान व
अपीलानुष्ठान को न्यायालय द्वारा न्यायालय समझ कर-क
कर बार -2 अधिवक्ता लगायी गयी, लेकिन इनकी मोर से
कीर्ति उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रकरण में भादेशिका दिनांक 26/11/2024 से अधिवक्ता अधिवक्ता
की शेष रेकॉर्डिंग के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु
निर्देशित किया गया तथा आदिनांक तक पर्याप्त अक्षर
दिये गये किन्तु अधिवक्ता अपीलानुष्ठान द्वारा जानबूझकर
आदिनांक तक न्यायालय आदेशों की पाठना में शेष रेकॉर्ड
स. 1 लगायत 16 व 18 एवं 19 के पंजीकृत समझ पेश
नहीं किये गये। अतः उक्त अपील अदम पेशवी। अदम
हाजरी। अदम तहमील में खारिज की जाती है।
पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर फैंसल शुमार
होकर बाद तहमील संख्या से ^{तीन} कम होकर दायिल
दफ्तर हो।


राजस्थान न्यायालय अधिकारी
माली